

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मंतर बनाम बानू (वैरा)

किस्म मुकदमा प्राथमिक पत्र 111-12-0 नं 15 सन 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही गण इनिशियल्स जज	नगर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
--------	-----------------------------------	--

6-2-20 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीय को सम्मन भोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 24-3-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

24-3-20 पत्रावली पेश हुई, अभिभावकमन द्वारा अतिरिक्त कार्य स्वामन / रजिस्टर रखने से पत्रावली दिनांक 9-4-20 को पेश हो।

9-4-20 उक्त पत्रावली उपरि उक्त को रजिस्टर करी सजकीय कार्य के लिए है। अहकाम पत्र / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7-5-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7-5-20 उक्त पत्रावली को रजिस्टर करी सजकीय कार्य के लिए है। अहकाम पत्र / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-5-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

28-5-20 उक्त पत्रावली को रजिस्टर करी सजकीय कार्य के लिए है। अहकाम पत्र / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 13-8-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

13-8-20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थनागण उपस्थित, अप्रार्थनागण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, वहीलदार माण्डल से मौखिक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही का इतिहास जल

संख्या  
आदेश  
हुकम की  
में जारी

शामिल पत्रावली की गई पूर्व में सीमा लागू  
बही कराया गया। अप्रार्थीगण की कितनी  
सर्वना आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित  
बही, इनके विकल्प एक तरफ कार्यवाही किये  
जाने के आदेश दिये जाते हैं बकीर प्रार्थीगण  
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय  
पृष्ठ से लिखा जाकर शामिल पत्रावली भिज  
गया।

~~पत्रावली को खाल्य शुमार लेकर अन्तर से कम  
हो।~~

उपखण्ड अधिकारी  
मंडल जिला मीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 15/20 प्रा.पत्र

श्री भंवर 30 श्री वेशी लाल सुथार निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (किरा)

-प्रार्थी

बनाम

1-श्री बालु 30 श्री लंगा सुथार निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल [किरा]  
(प्रमाणित प्रा.पत्र संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 13-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 4576, 4577, 4582, 4936, 4944 कुल किता 05 रकबा 01 बीघा 07 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26-02-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 4576, 4577, 4582, 4936, 4944 कुल किता 05 रकबा 01 बीघा 07 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल 400/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा